ईमेल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/डी.आर/ 3698   भोपाल, दिनांक 10 /08/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त)

विषय :- **कृषि उपज मंडियों में कृषकों को बेहतर विपणन सुविधा की उपलब्धता एवं इसकी नियमित समीक्षा के संबंध में।**

कृषि उपज मंडी समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश कृषकों को बेहतर कृषि उपज विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें निरंतर सुधार की संभावना सदैव बनी रहती है, जिस क्रम में विभिन्न अधोसंरचनात्मक सुधार, तकनीकी सुधार के कार्य प्रक्रियाधीन रहते हैं।

इसी क्रम में निर्देशित किया जाता **है कि** -

i. कृषकों को मंडी प्रांगण, उप मंडी प्रांगण में बेहतर अधोसंरचनात्मक सुविधा तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की सदैव निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं। कृषकों हेतु संचालित योजनाओं की भी सदैव उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं।

ii. मंडियों की नियमन व्यवस्था नियमानुसार संचालित रखना सुनिश्चित किया जाएं। कृषक भुगतान में विलंब, व्यतिक्रम संबंधित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं।

iii. फार्मगेट एप से हो रहे व्यापार में कृषक को उचित तौल एवं नियमित भुगतान की नियमित समीक्षा भी आपके स्तर से अपेक्षित है क्योंकि इसमें संबंधित व्यापारी के द्वारा एप पर संव्यवहार दर्ज किए बिना कृषि उपज विक्रय/परिवहन की संभावना है, जबकि कृषक के द्वारा, फार्मगेट एप पर व्यापार किया जाना जानकार, किसी भुगतान व्यतिक्रम की स्थिति में मंडी समिति में ही भुगतान हेतु संपर्क किया जाएगा।

iv. कृषकों से किसी भी प्रकार की अनियमित कटौती, अनियमित वसूली (तौल के नाम पर, आढ़त के नाम पर या अन्य कोई भी) की संभावना को निर्मूल किया जाएं। इस संबंध में प्राप्त हो रही किसी हुई भी शिकायत को गंभीरतापूर्वक लिया जाकर शीघ्र निराकरण कार्रवाई तथा संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएं।

v. अधीनस्थ मंडियों का नियमित निरीक्षण किया जाएं तथा उपरोक्त अनुसार कार्यवाही के क्रियान्वयन का नियमित समीक्षा की जाएं।

(गौतम सिंह)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/इन्दरा/3699 भोपाल, दिनांक 10/08/2023

प्रतिलिपि -

1. अपर संचालक (शिकायत), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। कृषि उपज मंडियों में कृषकों से अनियमित कटौती, अनियमित वसूली, भुगतान में विलंब अथवा व्यतिक्रम तथा सुविधाओं की अनुपलब्धता संबंधी प्राप्त शिकायतों के संबंध में अग्रसक्रिय आधार पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएं।

2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ अधीक्षण यंत्री/ उप संचालक/ सहायक संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल।

3. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल।

4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - _____ (समस्त)।

5. परिपत्र फाइल / गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल